भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *149

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीकरण

*149. श्री गिरिधारी यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक पांच वर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण कराना होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रावधान तब किया गया था जब लोगों की औसत आयु प्रत्याशा 50 वर्ष थी;

(ग) क्या लोगों की औसत आयु प्रत्याशा अब 70 वर्ष आंकी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का उक्त उपबंध को समाप्त करने का विचार है, यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'ड्राइविंग लाइसेंसों का नवीकरण' के संबंध में श्री गिरिधारी यादव द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *149 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, नहीं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 14(2)(ख) में कहा गया है कि यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकरण पर,—

(i) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(ii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किन्तु पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा; या

(iii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किंतु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा, जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(iv) उसने, यथास्थिति जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

(ख) और (ग) ड्राइविंग लाइसेंस एक कौशल आधारित दस्तावेज है जो वाहन चलाने की योग्यता परीक्षा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और अन्य शर्तों के अधीन जारी किया जाता है और यह औसत जीवन प्रत्याशा पर निर्भर नहीं करता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
